(124)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक R-3564-PBR/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 17-06-2014 पारित द्वारा आयुक्त नर्मदापुरम्, संभाग होशंगाबाद प्रकरण क्रमांक 217/अपील/2013-14.

1- केवलराम पिता श्री हीरालाल
2- उर्मिलाबाई पिता हीरालाल
3- प्रमिलाबाई पिता हीरालाल
4- विमलाबाई पिता हीरालाल
निवासीगण-छिरपुरा तहसील रहटगांव
जिला- हरदा ..... आवेदकगण

विरूद्ध

रामबाई पिता प्रताप
पिता श्री रामलाल
निवासी- छिरपुरा
तहसील रहटगांव जिला हरदा .....अनावेदिका

श्री टी.टी. गुप्ता एवं ओ.पी. शर्मा, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री दिवाकर दीक्षित, अभिभाषक, अनावेदिका

:: आदेश ::

(आज दिनांक 11/4/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 17-06-2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदिका एवं आवेदकगण द्वारा ग्राम छिरपुरा स्थित खसरा नम्बर 45 रकबा 0.04 एकड़, खसरा नम्बर 87 रकबा 0.07 एकड़, खसरा नम्बर 133/1 रकबा 18.12 एकड़, खसरा नम्बर 137 रकबा 18.10 कुल रकबा 36.33 एकड़ तथा ग्राम खात्याखेड़ा स्थित खसरा नम्बर 21 रकबा 5.08 एकड़, खसरा नम्बर 39/1 रकबा

0.90 एकड़ कुल रकबा 5.98 एकड़ कुल भूमि 42.31 भूमि पर आपसी पारिवारिक व्यवस्था अनुसार किये गये विभाजन अनुसार राजस्व अभिलेखों में पृथक-पृथक खाता विभाजन/नामान्तरण किये जानें हेतु आवेदन पत्र तहसीलदार, टिमरनी के समक्ष प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार रहटगांव जिला हरदा द्वारा प्रकरण क्रमांक 10/अ-27/2008-9 दर्ज कर दिनांक 28-07-2009 को पटवारी द्वारा प्रस्तुत फर्द बटान के अनुसार अभिलेख दुरूस्त करने का आदेश पारित किया गया। तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 28-7-2009 एवं संशोधन आदेश दिनांक 30-7-2009 के विरूद्ध अनावेदिका द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी टिमरनी जिला हरदा के समक्ष दिनांक 23-11-12 को विलम्ब से अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र सहित प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 25-10-2013 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार की गई। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद के समक्ष प्रस्तुत की गई। आयुक्त द्वारा दिनांक 17-06-2014 को आदेश पारित कर अपील अग्राह्य की गई । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में दिनांक 2-11-2015 को लगभग एक वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई है । साथ ही विलम्ब क्षमा किये जाने हेतु अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आयुक्त द्वारा बिना रिकॉर्ड बुलाये बिना तथ्यों की जांच किये अपील अग्राह्य करने में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत कार्यवाही गई है । यह भी कहा गया कि अनावेदिका को तहसील न्यायालय के आदेश की जानकारी प्रारंभ से ही थी, इसके उपरांत भी उसके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष विलम्ब से अपील प्रस्तुत की गई थी, जिस पर बिना विचार किये आदेश पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा त्रुटि की गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि आयुक्त द्वारा हिन्दू उततराधिकार अधिनियम के संशोधित प्रावधानों का उल्लेख करते हुए रिकॉर्ड पर प्रताप के वारिसानों में से उसकी अन्य तीन पुत्रियों मृत पुत्री सावित्री एवं फूलवती के वारिसानों एवं जीवित पुत्री वसुबाई को पक्षकार बनाये बिना एकपक्षीय रूप से गलत अर्थ लगाकर आदेश पारित किया गया है, जो विधि विरूद्ध होकर निरस्त किये जाने योग्य है । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा स्थापित विधिक सिद्धांतों के विपरीत जाकर आदिवासी प्रथा के विपरीत उस पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू होना मान्य करने में आयुक्त द्वारा त्रुटि की गई है, क्योंकि आवेदक आदिवासी परिवार के सदस्य हैं, जिन पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं । आदिवासी परिवार में उनकी स्थापित प्रथा से वे शासित होते हैं, जिसके अनुसार परिवार की महिला सदस्य को उसके पिता की सम्पत्ति में कोई हक नहीं मिलता है । अत: अधीनस्थ न्यायालय का आदेश इसी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है । यह भी कहा गया कि यदि पक्षकार हिन्दू हों, तब भी उनमें से पूर्वज के समस्त वारिसान पुत्रियां आदि जितने भी वारिसान पूर्वज की मुत्यु उपरांत जीवित हैं, उन सभी को पक्षकार बनाना था, किन्तु ऐसा न कर पक्षकारों के असंयोजन के दोष

के कारण अपील निरस्त करनी चाहिए थी, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई विचार नहीं करने में भूल की गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि पक्षकारों के मध्य स्वत्व का विवाद होने से अधीनस्थ न्यायालय को 3 माह के लिए कार्यवाही स्थगित कर स्वत्व का निराकरण व्यवहार न्यायालय से कराने के निर्देश दिया जाना चाहिए था, किन्तु ऐसा नहीं करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के प्रावधानों की अनदेखी कर आदेश पारित करने में अवैधानिकता की गई है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदिका द्वारा स्वयं तहसील न्यायालय के समक्ष कथन प्रस्तुत कर भूमि का नामांतरण कराया था, किन्तु बाद में अनावेदिका द्वारा पूर्व में किये गये कथनों के विपरीत नवीन कथन कर अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है, जिस पर बिना ध्यान दिये आदेश पारित करने में अनुविभागीय अधिकारी एवं आयुक्त द्वारा विधि की गंभीर भूल की गई है ।

4/ अनावेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा स्पष्ट निष्कर्ष निकालते हुए सकारण आदेश पारित किया गया है और अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को आयुक्त द्वारा भी स्थिर रखा गया है । इस आधार पर कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी एवं आयुक्त द्वारा पारित आदेश विधिसंत हैं, जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है । उनके द्वारा निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेखों का अवलोकन किया गया । आयुक्त के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि आयुक्त के आदेश को आवेदक द्वारा नोट किया गया है, अत: स्पष्ट है कि आवेदक पक्ष को आदेश की जानकारी दिनांक 27-6-14 को प्राप्त हो चुकी थी । आदेश की जानकारी प्राप्त होने के उपरांत भी आवेदक पक्ष द्वारा इस न्यायालय में दिनांक 2-11-2015 को एक वर्ष से भी अधिक विलम्ब से निगरानी प्रस्तुत की गई है । आवेदक को जब आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 6-10-2015 को प्राप्त हो चुकी थी, तब उन्हें अविलम्ब निगरानी प्रस्तुत करना चाहिए थी, किन्तु उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया है । अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र में विलम्ब के सम्बन्ध में दर्शाये गये कारण समाधानकारक नहीं है, अत: विलम्ब क्षमा नहीं किया जा सकता । इस सम्बन्ध में 1992 आर.एन. 289 लंगरी (श्रीमती) तथा अन्य विरूद्ध छोटा तथा अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है:-

"धारा 5-व्याप्ति-अधिकारिता की प्रकृति-वैवेकिक है-पक्षकार विलम्ब माफी के लिए अधिकार के रूप में हकदार नहीं है-पर्याप्त कारण का सबूत-अधिनियम की धारा 5 द्वारा न्यायालय में निहित अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए पुरोभाव्य शर्त है-न्यायालय अपनी अंतर्निहित शक्ति के अधीन अधिनियम अथवा विधि द्वारा विहित परिसीमा की कालावधि नहीं बढ़ा सकता ।"

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त न्याय दृष्टान्त के प्रकाश में यह निगरानी समय बाह्य होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 17-06-2014 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गायेल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर